UPEW010081152025

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah

पीठासीन अधिकारी– (Sri Ankur Sharma), (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(J.O. Code– UP01632)

Arbitration Execution No. 144/2025

Kunwar Singh and Ors. Vs. NHAI

दिनांकः 30.05.2026

1. पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई।

2. प्रार्थीगण/डिक्रीदारान की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त मध्यस्थ निष्पादन वाद में प्रार्थीगण डिक्रीदारान हैं। प्रार्थीगणों की भूमि संख्या–168 मि० स्थित मौजा कोकपुरा तहसील व परगना व जिला इटावा की 715 हे० भूमि यानी 715 वर्ग मीटर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2 के चौड़ीकरण हेतु दिनांक 27.07.2017 अन्तर्गत धारा 3(ए) एवं दिनांक 06.12.2017 अन्तर्गत धारा 3(डी) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत सड़क चौड़ीकरण हेतु अधिग्रहीत की गयी थी जिसमें डिक्रीदारान की भूमि 357.5 वर्ग मीटर अधिग्रहीत की गयी थी। चूंकि इस अधिग्रहीत भूमि को निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आदेश दिनाँक 25.06.2018 के अभिनिर्णय से क्षुब्ध होकर डिक्रीदारान ने भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पत्र मध्यस्थ अपर आयुक्त (प्रशासन) कानपुर मण्डल कानपुर के यहाँ अन्तर्गत धारा 3 जी (5) के अन्तर्गत प्रस्तुत की थी और जिसका पंचाट आदेश में डिक्रीदारान की भूमि को आबादी की भूमि मानते हुये दिनांक 24.01.2022 को आदेश पारित किया गया था। इस पंचाट आदेश अन्तर्गत धारा 34 मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1956 के द्वारा दिनांक 04.10.2023 को अपर जनपद न्यायाधीश स्पेशल जज ई०सी०एक्ट कोर्ट नं० 4 इटावा के द्वारा पुष्टीकृत किया गया एवं आदेश दिनाँक 04.10.2023 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में डिक्रीदारान के विरूद्ध अपील प्रस्तुत

Digitally signed by ANKUR SHARMA
Date: 2026.05.30 12:13:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किया। धारा 37 मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम को भी दिनांक 30.09.2024 को निरस्त कर दी गयी थी। इस प्रकार मध्यस्थ एवं सुलह अधिकारी कानपुर मण्डल कानपुर पंचाट आदेश दिनाँक 24.01.2022 कन्फर्म हो गया फिर भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा डिक्रीदारान की भूमि का प्रतिकर की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। तदोपरान्त डिक्रीदारान द्वारा अपनी अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में यह मध्यस्थ निष्पादन प्रस्तुत किया है। निष्पादन वाद में श्रीमान् जी के द्वारा प्रतिकर की धनराशि संम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी इटावा से गणना आख्या आहूत की गयी थी जो दिनाँक 06.02.2026 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है परन्तु इस गणना में प्रतिकर की धनराशि पर कानून के मुताविक देय ब्याज की गणना नहीं की गयी और इस धनराशि में ब्याज की धनराशि किसी कारण से सम्मिलित नहीं हैं जबकि ब्याज की धनराशि प्रतिकर की धनराशि का एक अहम एवं विशेष भाग होता है। आदेश दिनांकित 22.04.2026 के पैरा–13 में माननीय न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णयों का अर्थ स्पष्ट करने में भ्रम उत्पन्न हुआ है। जबकि उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में लम्बित अपीलों में पारित हुए आदेश उन्हीं मामलों में लागू होते हैं। प्रार्थीगण डिक्रीदार की इजराय के सम्बन्ध में प्रभावहीन हैं। धारा 80 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले ब्याज के सम्बन्ध में प्रस्तुत निष्पादन पर लागू नहीं होता है। प्रार्थीगण डिक्रीदारान द्वारा निष्पादन प्रार्थनापत्र में धारा 80 से पहले धारा 72 भी लिखी हुई है जिसके अनुसार भी उचित प्रतिकर व सोलेशियम पर ब्याज प्राप्त कर पाने का अधिकारी हैं। सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा दी गई आख्या दिनाँकित 06.04.2026 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अन्तिम 3 पंक्तियों दो बार Instant Instant इन्स्टेन्ट का तात्पर्य उसी कार्यवाही से सम्बन्धित है न कि सम्पूर्ण भारत वर्ष में भूमि अर्जन वादों से, जब कि प्रार्थीगण डिक्रीदारान की निष्पादन की कार्यवाही है कोई वाद या अपील नहीं है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण डिक्रीदारान को ब्याज की उचित गणना मँगायी जाकर भुगतान प्राप्त होना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थीगण/डिक्रीदारान को समस्त प्रतिकर धनराशि मय उचित ब्याज का भुगतान कराये जाने की कृपा करें।

3. उपर्युक्त प्रार्थना पत्र के विरुद्ध विपक्षी की ओर से आपत्ति कागज सं० 38 ग दाखिल कर कथन किया गया है कि आर्बिट्रेटर द्वारा पारित पंचाट को प्रथम दृष्टया पढ़ने मात्र से स्पष्ट होता है कि आर्बिट्रेटर द्वारा प्रश्नगत मामलें में ब्याज की कोई देयता निर्धारित नहीं की। अतः याची द्वारा की जा रही ब्याज की मॉग सर्वथा अनुचित है। आर.एफ.सी.टी.एल.आर. एक्ट 2013 की धारा 80 के अन्तर्गत दिया गया ब्याज अधिरोपित किये जाने का प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत किये गये अर्जन पर लागू नहीं होता। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एक विशेष अधिनियम है जो सभी अन्य अधिनियमों पर Over Riding रखता है। केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत होने वाले अर्जन के सम्बन्ध में प्रतिकर की गणना हेतु आर.एफ.सी.टी.एल.आर. एक्ट 2013 के शेड्यूल I, II & III को एडाप्ट किया गया। उक्त के अतिरिक्त आर.एफ.सी.टी.एल.आर. एक्ट 2013 का कोई भी अन्य प्रावधान (यथा धारा 80) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 पर लागू नहीं होता। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सवप्रर्थम रिट सी संख्या–11417/2023 बलवान सिंह एवं एक अन्य बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व अन्य तथा रिट सी संख्या–18478/2023 विकास गोयल आदि बनाम भारत संघ आदि में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2023 पारित कर धारा 80 आर.एफ.सी.टी.एल.आर. एक्ट 2013 का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले अधिग्रहण पर लागू होना अवधारित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2023 के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्पेशल लीव पिटीशन डायरी संख्या–2131/2024 व डायरी संख्या–8422/2024 दाखिल की गयी, जिसमें पारित आदेश दिनांक 29.07.2024 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2023 के प्रभाव को स्थगित कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट सी सं० 3219/2024 फतेह मोहम्मद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में आदेश दिनांक दिनांक 25.11.2024, रिट सी सं० 37038/2025 श्री ब्रिक्स बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व 5 अन्य में आदेश दिनांक 29.10.2025, सिविल रिवीजन डिफेक्टिव सं० 09/2023 नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया बनाम विश्व प्रताप सिंह में

दिनांक 27.01.2026 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामले के प्रकाश में वादों की कार्यवाही स्थगित की गयी है। धारा–72 आर.एफ.सी.टी.एल.एल.आर. एक्ट 2013 का विषय चेप्टर–VIII के अन्तर्गत प्रावधानित है व चेप्टर–VIII Establishment of Land Acquisition and Resettlement authority के सम्बन्ध में है व चेप्टर–VIII Establishment of Land Acquisition and Resettlement authority की नियुक्ति, स्थापना अधिकारों व अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रावधानित करता है। धारा–64 आर.एफ.सी.टी.एल.एल.आर. एक्ट कलेक्टर द्वारा पारित अवार्ड से असंतुष्ट व्यक्तियों को धारा–51 में स्थापित अथॉरिटी के समक्ष मामलें को रेफर किये जाने हेतु आवेदन करने का प्रावधान करती है। इजरायकर्ता के स्वयं के अनुसार धारा–3 जी के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अभिनिर्णय से क्षुब्ध होकर इजरायकर्ता व अन्य व्यक्तियों द्वारा अन्तर्गत धारा 3 जी (5) रष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1996 आरबीट्रेशन वाद संख्या–551/2020 अपर आयुक्त प्रशासन कानपुर मण्डल धारा–3 जी(5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्तत आरबिट्रेटर के समक्ष दाखिल किया, जिसमें पारित निर्णय अवार्ड दिनांक 24.01.2022 के अनुपालन हेतु यह इजराय वाद दाखिल किया है, न कि धारा 64 आर.एफ.सी.टी.एल.एल. आर. एक्ट 2013 के अन्तर्गत किये गये किसी रेफरेन्स में पारित निर्णय के सम्बन्ध में। अतः स्पष्टतया धारा 72 जो कि चैप्टर VIII एक्ट 2013 के अन्तर्गत प्रावधानित भा०रा०रा०प्रा० द्वारा रा०रा०मा० अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दिये गये अधिग्रहण व उसके अन्तर्गत उत्पन्न विवादों / विवादों के निस्तारण उल्लिखित प्रक्रिया व प्रावधानों पर लागू नहीं होते है। आपत्ति में दिये गये कारणों एंव आधारों पर उत्तरदायी प्रार्थनापत्र दिनांक 11.05.2026 निरस्त फरमाया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना की गयी है कि आपत्ति में दिये गये कारणों एंव आधारों पर उत्तरदायी प्रार्थनापत्र दिनांक 11.05.2026 निरस्त किये जोन की कृपा की जावे।

4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि डिक्रीदार की ओर से आर्बिट्रेटर द्वारा पारित पंचाट दिनांक 24.01.2022 के निष्पादन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है

जिसके सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी से गणना रिपोर्ट आहूत की गयी तथा सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 13.03.2026 को गणना रिपोर्ट प्रेषित की गयी जिसमें ब्याज की गणना नहीं की गयी। डिक्रीदार द्वारा उक्त गणना रिपोर्ट के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत की गयी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से प्रति आपत्ति प्रस्तुत की गयी। उभयपक्षों को सुनने के पश्चात न्यायालय द्वारा दिनांक 22.04.2026 को विस्तृत आदेश पारित करते हुए निष्कर्ष दिया गया कि धारा–80 भूमि अर्जन पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले ब्याज के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट सी सं० 11417/2023 बलवान सिंह एवं अन्य बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग व रिट सी सं० 18478/2023 विकास गोयल आदि बनाम भारत संघ में पारित निर्णय दिनांकित 16.12.2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव टू अपील सं० 8422/2024 में पारित आदेश दिनांकित 29.07.2024 द्वारा स्थगित किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट सी सं० 32019/2024 फतेह मोहम्मद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांकित 25.11.2024, रिट सी सं० 37038/2025 श्री ब्रिक्स बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 29.10.2025 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकित 29.07.2024 के प्रकाश में मामलों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में न्यायालय द्वारा वाद के इस स्तर पर धारा–80 भूमि अर्जन पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले ब्याज प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित नहीं किया गया तथा धारा–72 भूमि अर्जन पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गणना करते हुए सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी से आख्या आहूत की गयी है।

6. डिक्रीदार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों में पारित आदेश केवल उन्हीं मामलों में लागू होते हैं। डिक्रीदार की इजराय के सम्बन्ध में लागू नहीं

होते हैं। डिक्रीदार धारा–80 व धारा–72 भूमि अर्जन पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रतिकर धनराशि में उचित ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा–80 भूमि अर्जन पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले ब्याज के सम्बन्ध में मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित होने के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विभिन्न मामलों में वाद की कार्यवाहियों को स्थगित किया गया है इन परिस्थितियों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रस्तुत मामले में भी लागू होंगे तथा डिक्रीदार की ओर से किया गया यह कथन कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होते हैं, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

8. इन परिस्थितियों में प्रार्थीगण/डिक्रीदारान की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–151 सी.पी.सी. निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–151 सी.पी.सी. निरस्त किया जाता है। तदनुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है। सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2026 के अनुपालन में गणना रिपोर्ट दिनांक 07.07.2026 तक प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये। पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 07.07.2026 को पेश हो।

(अंकुर शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० 4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632